<u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल</u> (<u>पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह</u>)

<u>व्य.वाद. क्रमांक:— 86ए / 16</u> संस्थापन दिनांक:—08 / 12 / 16 फाईलिंग नं. 4003642016

संतोष पिता कोमलचंद जैन उम्र 75 वर्ष, निवासी बोरदेही, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>वादी</u>

वि रू द्व

- 1. श्रीमती सुधा पति स्व. सुमंत कुमार जैन, उम्र 52 वर्ष
- 2. अंकुश पिता स्व. सुमंत कुमार जैन, उम्र 26 वर्ष
- कु. पूजा पिता स्व. सुमंत कुमार जैन, उम्र 22 वर्ष क. 1 से 3 निवासी सुकरी, जुन्नारदेव, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
- 4. श्रीमती यशोदा पति सुधाकर वाईकर, उम्र 46 वर्ष निवासी हरन्या, तहसील आमला, जिला बैतुल (म.प्र.)
- 5. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

<u>....प्रतिवादीगण</u>

<u>-: (आदेश) :-</u>

(आज दिनांक 27.04.2017 को पारित)

- 1 इस आदेश द्वारा प्रतिवादीगण की ओर प्रस्तुत अंतरिम आवेदन कमांक 02 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।
- 2 प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित संपत्ति ख.नं. 153 रकबा 6.851 हे. का स्व. कोमलचंद ने अपने जीवनकाल में संशोधन क. 105 आदेश दिनांक 09.11.1987 द्वारा विभाजन कर दिया था जिसके फलस्वरूप ख.नं. 153 के तीन बटा नंबर 153/1, 153/2, 153/3 हुए। ख.नं. 153/1 रकबा 2.003 हे. वादी संतोष को, ख.नं. 153/2 रकबा 2.004 हे. स्व. सुमंतकुमार को तथा ख.नं. 153/3 रकबा 2.845 हे. स्व. कोमलचंद को प्राप्त हुई तथा इसी अनुरूप राजस्व अभिलेखों में नाम भी दर्ज हुए और

पृथक—पृथक ऋण पुस्तिका भी प्राप्त हो गयी। स्व. कोमलचंद की मृत्यु पर ख.नं. 153/3 वारसाना नामांतरण में वादी संतोष तथा प्रतिवादी क. 1 के पित स्व. सुमंतकुमार के नाम पर दर्ज हुई तथा ख.नं. 153/2 स्व. सुमंत कुमार की मृत्यु उपरांत प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज हुई। प्रतिवादी क. 04 के द्वारा दिनांक 19.02. 2015 को प्रतिवादी क. 01 से रिजस्टर्ड विकय पत्र से ख.नं. 153/2 कय कर आधिपत्य प्राप्त किया गया एवं राजस्व अभिलेखों में नाम भी दर्ज हो गया है। वादी के द्वारा उसके द्वारा खरीदी गयी भूमि के आधिपत्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है। अतः सुविधा का संतुलन, अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत प्रतिवादी के पक्ष में है। अतः प्रतिवादी के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी की जावे।

3 वादी की ओर से उपर्युक्त आवेदन का लिखित में जबाव पेश कर उसमें यह लेख किया गया है कि विवादित भूमि ख.नं. 153 रकबा 6.851 हे. वादी एवं उसके पिता द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 09.09.1960 से कय की गयी थी। उस समय प्रतिवादी क. 01 के पित स्व. सुमंत कुमार नाबालिंग थे स्नेहवश उनका नाम लिखा दिया गया था लेकिन संपूर्ण प्रतिफल की राशि 5,000/— रूपये वादी एवं उसके पिता ने दी थी। विवादित भूमि का मौके पर कोई वास्तविक विभाजन नहीं हुआ है। आज भी विवादित भूमि एकजाई है तथा मात्र संपूर्ण रकबे पर वादी का कब्जा है। प्रतिवादी क. 04 के द्वारा विवादित भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। राजस्व अभिलेखों में केवल नाम मात्र के आधार पर शासकीय सुविधाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से विवादित भूमि का बटांकन करके पृथक—पृथक नाम दर्ज किये गये जबिक वास्तविक विभाजन आज तक नहीं हुआ है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षिति का सिद्धांत वादी के पक्ष में होने से आवेदन सव्यय निरस्त किया जावे।

4 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय में समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :--

- 1. क्या प्रतिवादी क. 04 के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला है ?
- 2. क्या सुविधा का संतुलन प्रतिवादी क. 04 के पक्ष में है ?
- 3. क्या आवेदन निरस्त किए जाने से प्रतिवादी क. 04 को अपूर्तनीय क्षति होगी ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क. 1 का निराकरण

5 प्रतिवादी क. 04 द्वारा अपने आवेदन में यह लेख किया गया है कि उसके द्वारा दिनांक 19.02.2015 को प्रतिवादी क. 01 से 03 के द्वारा ख.नं. 153/2 रकबा 2.003 हे. भूमि रिजस्टर्ड विक्य पत्र से क्य कर कब्जा प्राप्त किया गया। जबिक वादी का यह कहना है कि ख.नं. 153 की संपूर्ण भूमि पर मात्र उसका आधिपत्य है तथा राजस्व दस्तावेजों में ख.नं. 153/2 पर प्रतिवादी क. 01 के पित

सुमंत कुमार का नाम सुविधा की दृष्टि से दर्ज कराया गया था।

- 6 प्रतिवादी क. 04 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2016—17 के अवलोकन से ख.नं. 153/2 पर प्रतिवादी क. 1 का नाम दर्ज होना तथा खसरा वर्ष 2016—17 के अवलोकन से ख.नं. 153/2 पर प्रतिवादी क. 04 यशोदा का नाम दर्ज होना प्रकट हो रहा है। ख.नं. 153/2 का मौके का पंचनामा प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि दिनांक 24.06.2016 को ख.नं. 153/2 का प्रतिवादी क. 04 एवं अन्य ग्रामवासियों की उपस्थित में नाप कर मेड़ कायम की गयी।
- वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जो कि ख.नं. 153 के खसरा पांचसाला, किश्तबंदी खतौनी एवं नक्शा है जिनके अवलोकन से ख.नं. 153 के बंटा नंबर 153 / 1, 153 / 2, 153 / 3 होकर 153 / 1 वादी संतोष के नाम पर, 153 / 2 सुमंत कुमार के नाम पर तथा 153/3 कोमलचंद के नाम वर्ष 1989-90 से दर्ज होना प्रकट हो रहे हैं। साथ ही वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से वर्ष 1990-91 से ख. नं. 153/2 पर सुमंतकुमार जैन का नाम दर्ज होना एवं उसकी मृत्यु उपरांत उसके वारसान प्रतिवादी क. 01 से 03 का नाम वर्ष 2011 से दर्ज होना प्रकट हो रहा है। इस प्रकार स्पष्टतः स्व. कोमलचंद जैन के जीवनकाल में ख.नं. 153 के बंटे नंबर होकर वादी संतोष, सुमंतकुमार जैन एवं कोमलचंद जैन के नाम पर दर्ज होना प्रकट होते हैं। अतः प्रथम दृष्टया ख.नं. 153/2 रकबा 2.003 सुमंतकुमार के स्वत्व एवं आधिपत्य की तथा उसकी मृत्यू उपरांत प्रतिवादी क. 01 से 03 के स्वत्व एवं आधिपत्य की होना प्रकट होती हैं। वादी का यह कहना है कि मूल ख.नं. 153 का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तथा संपूर्ण भूमि एकजाई है परंत् खसरा पांचसाला वर्ष 1984-85 के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि संशोधन प्रविष्टि वाले कॉलम में मूल ख.नं. 153 के बटे नंबर 153/1, 153/2, 153/3 किये गये हैं तथा सरल क. 105 आदेश दिनांक 09.11.1986 का उल्लेख है जिससे प्रथम दृष्टया बिना किसी आधार के ख.नं. 153/2 में प्रतिवादी क. 01 के पति सुमंत का नाम लेख किया जाना प्रकट नहीं हो रहा है। जहां तक वादी का यह कहना है कि विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तो यह साक्ष्य की विषयवस्तु है जिसका निराकरण विधिवत साक्ष्य उपरांत किया जा सकता है।
- वर्ष 1984—85 से निरंतर ख.नं. 153/2 पर प्रतिवादी क. 01 के पित सुमंत कुमार का नाम दर्ज होना एवं उसकी मृत्यु उपरांत उसके वारसानों का नाम वर्ष 2011 में दर्ज होना प्रकट हो रहा है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या ख.नं. 153/2 पर प्रतिवादी क. 01 के पित सुमंत कुमार का स्वत्वाधिकारी होना एवं तत्पश्चात प्रतिवादी क. 01 से 03 का स्वत्वाधिकारी एवं आधिपत्यधारी होना तथा ख.नं. 153/2 क्य किये जाने के उपरांत प्रतिवादी क. 04 का आधिपत्यधारी होना, खसरा वर्ष 2016—17 के अवलोकन से प्रकट हो रहा है। अतः स्वत्व की घोषणा के संबंध में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रतिवादी क. 04 के पक्ष में पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क. 2 एवं 3 का निराकरण

9 विवादित भूमि ख.नं. 153/2 रकबा 2.003 के संबंध में प्रतिवादी क. 01 द्वारा प्रतिवादी क. 04 के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र दिनांक 19.02.2015 रिजस्टर्ड है जिसके प्रथम दृष्ट्या सही होने की उपधारणा की जावेगी। विकय पत्र में विकय की गयी भूमि की स्पष्ट चौहद्दी भी लेख है तथा उसमें प्रतिवादी क. 04 को कब्जा दिया जाना भी लेख है। विवादित भूमि ख.नं. 153/2 पर वर्ष 1990—91 से निरंतर प्रतिवादी क. 01 के पित सुमंत कुमार का नाम दर्ज होना एवं उसकी मृत्यु उपरांत प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होना राजस्व दस्तावेजों से प्रकट होता है। प्रतिवादी क. 04 का नाम ख.नं. 153/2 क्य किये जाने के उपरांत राजस्व दस्तावेज खसरा वर्ष 2016—17 के अवलोकन से प्रकट होता है। अतः यदि प्रतिवादी क. 04 को विवादित भूमि ख.नं. 153/2 के उपभोग से वंचित किया जाता है तो निश्चित ही वादी की तुलना में प्रतिवादी क. 04 के लिए असुविधाजनक होगा। जबिक यदि वादी गुण—दोष पर अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहता है तो उसे प्रतिवादी क. 04 से रिक्त आधिपत्य दिलाया जा सकता है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत प्रतिवादी क. 04 के पक्ष में पाया जाता है।

10 प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षिति का सिद्धांत प्रतिवादी क. 04/आवेदनकर्ता के पक्ष में प्रमाणित पाया गया है। अतः प्रतिवादी क. 04 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. आई.ए.नं. 2 स्वीकार कर वादी को निषेधित किया जाता है कि वह प्रकरण के निराकरण तक विवादित भूमि ख.नं. 153/2 रकबा 2.003 हे. जिसके उत्तर में वादी संतोष की भूमि, दक्षिण में भैय्यालाल की भूमि, पूर्व में सिवाना तथ पश्चिम में वादी एवं प्रतिवादी क. 01 से 03 की शामिल शरीक भूमि है, पर स्वयं अथवा अन्य के माध्यम से हस्तक्षेप न करे।

11 आवेदन का निराकरण का प्रकरण के गुण—दोष के आधार पर पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन के निराकरण का व्यय प्रकरण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर पारित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतुल

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल